भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या- 108
दिनांक 11 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

गौवंश का संरक्षण

***108. श्री दर्शन सिंह चौधरी:**
डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पशुधन के संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है तथा पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं;
(ख) देश में गौवंश की सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजनाओं के लिए किए गए कुल बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है; और
(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जा रही राजसहायता राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *108 'गौवंश का संरक्षण' के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ) पशुधन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, गायों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन: भारत सरकार देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दिसंबर, 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग देशी नस्लों सहित बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार कर रहा है। आज की तिथि तक, 8.32 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 12.20 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिससे 5.19 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है।

इसके अतिरिक्त संतति परीक्षण और नस्ल चयन के अंतर्गत 44.50 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों को पैदा करना है, जिसमें देसी नस्लों के सांड भी शामिल हैं। गिर, साहीवाल नस्ल के गोपशुओं और मुर्रा, मेहसाणा नस्ल की भैंसों के लिए संतति परीक्षण लागू किया गया है। नस्ल चयन कार्यक्रम के तहत राठी, थारपारकर, हरियाना, कंकरेज नस्ल के गोपशुओं और जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्ल की भैंसों को कवर किया गया है। अब तक 3,988 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों को पैदा किया गया है और उन्हें वीर्य उत्पादन के लिए शामिल किया गया है।

विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित 5 सरकारी सीमेन केन्द्रों में सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन की सुविधाएं स्थापित की हैं। तीन निजी सीमेन स्टेशन भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन की खुराकों का उत्पादन कर रहे हैं। अब तक उच्च आनुवांशिक गुणता वाले सांडों से 1.15 करोड़ सेक्स सॉर्टेड सीमेन ख़ुराकें उत्पादित की गईं हैं और उन्हें कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपलब्ध कराया गया है।

सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य 90% तक सटीकता के साथ बछियों का उत्पादन करना है, जिससे नस्ल सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो। किसानों को सेक्स सॉर्टेड सीमेन की लागत का 50% तक सुनिश्चित गर्भधारण के लिए सहायता मिलती

है। अब तक, इस कार्यक्रम से 341,998 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने किसानों को उचित दरों पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन उपलब्ध कराने के लिए देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक शुरू की है।

(ii) इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का कार्यान्वयन: देशी नस्लों के श्रेष्ठ पशुओं के प्रजनन के लिए विभाग ने 22 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। एक ही पीढ़ी में बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन में इस तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा, किसानों को उचित दरों पर तकनीक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आईवीएफ मीडिया की शुरुआत की है। इस तकनीक का उपयोग बोवाईन पशुओं के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए किया जाता है और आईवीएफ तकनीक अपनाने में रुचि रखने वाले किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भावस्था पर 5,000 रुपये का प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है।

(iii) जीनोमिक चयन: उच्चय कोटी के बोवाइन पशुओं की पहिचान एवं गोपशुओं और भैंसों के आनुवंशिक सुधार में तीव्रता के लिए, विभाग ने एकीकृत जीनोमिक चिप्स विकसित की हैं - देशी गोपशुओं के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप- जो विशेष रूप से देश में जीनोमिक चयन शुरू करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

(iv) ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): इस योजना के तहत मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 38,736 मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है।

2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम): विभाग, वित्तीय वर्ष 2014-15 से एनएलएम योजना को क्रियान्वित कर रहा है। क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए एनएलएम योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुनर्संरेखित किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) की संशोधित योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति-पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार एक छत्र योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना में निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं:

(I) पशुधन और पोल्ट्री के नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन इस उप-मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

(A) उद्यमिता विकास (i) ग्रामीण पोल्ट्री के नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना: पैरेंट फार्म (1000 पक्षी) की स्थापना के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पाद संगठन (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को 25.00 लाख रु. तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है; (ii) छोटे रूमिनेंटस क्षेत्र (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना: न्यूनतम 100 मादा और 10 नर तथा

अधिकतम 500 मादा और 25 नर वाली भेड़ और बकरी प्रजनन इकाई स्थापित करने के लिए व्यक्ति, (iii) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को 50.00 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। और (iv) घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट के लिए उद्‌यमियों की स्थापना: व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान सहकारी समितियों (एफसीओ) / संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को 50 लाख रूपए तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(B) आनुवंशिक सुधार: भेड़, बकरी, सुअर घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट की नस्लों का आनुवंशिक सुधार के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला, क्षेत्रीय वीर्य स्टेशन की स्थापना एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना I

(II) आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन: आहार और चारा संबंधी उप-मिशन निम्नलिखित कार्यकलापों को कवर कर रहा है:

(A) गुणवत्ता वाले चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता: केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों द्‌वारा चारा बीज उत्पादन की सभी श्रेणियों के लिए 100% प्रोत्साहन;

(B) आहार और चारे में उद्‌यमशीलता कार्यकलाप: व्यक्तियों, एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियों, सेक्शन 8 कंपनियों को घास/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक जैसे मूल्य संवर्धन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 50 लाख रुपए तक एकमुश्त 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(C) चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए उद्‌यमियों की स्थापना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई / चारा बीज भंडारण गोदाम): कंपनियों, स्टार्ट-अप / एसएचजी / एफपीओ / एफसीओ / जेएलजी / सहकारी समितियों धारा 8 कंपनियों और अन्य विश्वसनीय संगठनों को चारा बीज प्रसंस्करण अवसरंचना की स्थापना के लिए 50 लाख रु. तक की एकमुश्त 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(D) गैर-वन बंजर भूमि / रेंजभूमि / गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन" और "वन भूमि से चारा उत्पादन:

(III) नवाचार और विस्तार संबंधी उप मिशन: इस उप-मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं: (A) अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार; (B) विस्तार कार्यकलाप: सेमिनार, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, पशुपालक समूह, प्रजनक संघ और पशुधन मेलों जैसे आईईसी कार्यकलापों के माध्यम से योजना और पशुपालन संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। और (C) पशुधन बीमा कार्यक्रम: पशुओं के बीमा कवरेज के लिए 60:40 या 90:10 आधार पर प्रीमियम के हिस्से के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जाती है।

3. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: यह योजना सहकारी डेयरी क्षेत्र में दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी अवसरंचना के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करती है, जिसमें डेयरी किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, पशु-आहार और खनिज मिश्रण जैसी इनपुट सेवाएं और दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए सहायता शामिल है, जिससे सहकारी समितियों में नामांकित डेयरी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी): यह योजना खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने और डेयरी पशुओं सहित पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई है। किसानों के दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए इस योजना के अंतर्गत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत: (i) एफएमडी के लिए 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए गए हैं, जिसमें चालू वर्ष के दौरान किए गए 35 करोड़ टीकाकरण शामिल हैं; और (ii) ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लगभग 4.3 करोड़ बछड़ों और बछड़ियों को ब्रुसेलोसिस के लिए टीका लगाया गया है, जिसमें चालू वर्ष के दौरान 1.3 करोड़ बछड़ों और बछड़ियों को टीका लगाया गया है। पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के अंतर्गत, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें आवर्ती परिचालन व्यय हेतु उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में; अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% सहायता प्रदान की जाती है, ताकि टोल-फ्री नंबर (1962) के माध्यम से किसानों के दरवाजे पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के माध्यम से पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिसमें रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप, दृश्य-श्रव्य सहायता और विस्तार सेवाएं शामिल हैं। अब तक, 28 राज्यों में 4016 एमवीयू परिचालित हैं और 65 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

5. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ): यह योजना (i) डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण अवसंरचना और (iii) पशु आहार संयंत्र (iv) नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म, (v) पशु चिकित्सा वैक्सीन और औषधि उत्पादन सुविधाएं, (vi) पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु सुगम बनाने के लिए है। एएचआईडीएफ की सफलता को ध्यान में रखते हुए, पूर्ववर्ती डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि को दिनांक 01.02.2024 को एएचआईडीएफ में समाहित कर दिया गया है। अब कुल निधि 29110 करोड़ रुपये हो गई है।

6. भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई): भारत सरकार, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है: (i) संकटग्रस्त पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृह का प्रावधान और (ii) संकटग्रस्त आवारा पशुओं के रख-रखाव और उनके

उपचार, पशुओं के कल्याण हेतु मानव शिक्षा कार्यक्रम के लिए भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड प्लान योजना आदि।

उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराए गए कुल बजट आवंटन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	योजना का नाम	पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान जारी कुल निधियां करोड़ रु. में
1	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	2801.67
2	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	1730.20
3.	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	1545.42
4.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	5009.28
5.	पशुपालन अवसंरचना विकास निधि	864.32*

*डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि के तहत जारी निधियां भी शामिल हैं।